पत्र सं०- ब17/बी०एस०जी०-157/2013- 22 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 08/01/2026

विषय - **वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-19.01.2026 तक भेजने के संबंध में।**

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है ।

3. **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय** मद अंतर्गत तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु मात्र निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) जिस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का उपबंध नहीं कराया गया हो, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रुपये उपबंधित करने का प्रस्ताव देना होगा, शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा ।

(ii) मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में शेष राशि के व्यय हेतु उपबंध ।

(iii) अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा। इसके लिए जितनी राशि उपबंधित करायी जानी है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा ।

(iv) वेतन मद तथा न्यायादेश से आच्छादित मामलों के भुगतान हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सकारण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सकता है । इसके अलावा अन्य मदों में अतिरिक्त राशि उपबंधित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

4. **राज्य स्कीम** के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त अतिरिक्त उद्व्यय के आलोक में प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के

साथ उद्व्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रक्षित की जाय ।

(ii) अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा। इसके लिए जितनी राशि का उपबंध कराया जाना है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा । स्कीम अंतर्गत पूर्व से कर्णांकित राशि में परिवर्तन हेतु योजना एवं विकास विभाग से आंतरिक सामंजन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम** अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में तृतीय अनुपूरक द्वारा राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

नई स्कीम में प्राप्त होने वाली राशि, जिसका बजटीय उपबंध मूल बजट में नहीं किया गया है, उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव (स्पष्ट आधार सहित) के साथ राशि के बजटीय उपबंध हेतु योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्ति का पत्र संलग्न करते हुये प्रस्ताव दिया जा सकता है।

6. **SNA SPARSH Module** में अधिसूचित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्त विभागीय पत्रांक- 410, दिनांक- 12.06.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । **(पत्र की प्रति संलग्न)**

7. **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजटीय उपबंध नहीं किया गया है, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए। यदि पूर्व वित्तीय वर्षो में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी एवं इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना हो तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी। **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** के लिए उद्व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

8. अतः अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव **दिनांक-19.01.2026** तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में **अपराह्न 5 बजे तक** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/1/26

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- सचिव, लोक सेवा आयोग, बिहार/ अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त(अंकेक्षण) विभाग/ संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय/ संयुक्त सचिव, प्रेस एवं स्टेशनरी/ उप सचिव, पेंशन/ संयुक्त आयुक्त, लेखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना, वित्त विभाग/ संयुक्त आयुक्त, कोषागार शाखा/ निदेशक, सांस्थिक वित्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- विशेष सचिव (बजट), बजट प्रशाखा के सभी अवर सचिव/ अवर बजट नियंत्रक/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 22 दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/आई०टी० मैनेजर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी